संशोधन

संख्या- 1131 /1-10-2016-33(16)/2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, बरेली, शाहजहाँपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुलतानपुर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बागपत, मीरजापुर, भदोही, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, सहारनपुर, मुजफफरनगर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चन्दौली, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती एवं सन्त कबीरनगर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2016

विषय:- फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से हुई कृषि फसलों की क्षति से प्रभावित अवशेष किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य सरकार की ओर से वितीय वर्ष 2016-17 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1128/1-10-2016-33(16)/2015, दिनांक 10.10.2016 द्वारा फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2015 में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये प्रदेश के 52 जनपदों को रू0 16,99,72,00,000/- (रूपये सोलह अरब निन्यानबे करोड़ बहत्तर लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- यह उल्लेख करना है कि 52 जनपदों को स्वीकृत धनराशि रू0 16,99,71,00,000/-(रूपये सोलह अरब निन्यानबे करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) के स्थान पर रू0 16,99,72,00,000/-(रूपये सोलह अरब निन्यानबे करोड़ बहत्तर लाख मात्र) अंकित हो गया है। अतः उक्त धनराशि को रू0 16,99,71,00,000/-(रूपये सोलह अरब निन्यानबे करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) पढ़ा जाय तथा पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- शासनादेश संख्या-1128/1-10-2016-33(16)/2015, दिनांक 10.10.2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संशोधित आलेख्य (शुद्धि पत्र) 1/

Scanned by CamScanner

संख्या- 1131 /1-10-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व उ0प्र0 शासन ।

5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।

6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।

7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।

8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)

प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner